अष्टम माला, खंड 24, अंक 1

सोमवार, 23 फरव
4 फाल्गुन, 1908

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 24 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 24, आठवां सत्र, 1987/1908 (शक)

अंक 1, सोमवार, 23 फरवरी, 1987/4 फाल्गुन, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया	1—14
निधन सम्बन्धी उल्लेख	14—17
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	18—27

आठवीं लोक सभा के सदस्यों की
वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)

अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान (मधुबनी)

अख्तर हसन, श्री (कैराना)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक)

अठवाल, श्री चरनजीत सिंह (रोपड़)

अडईकलराज, श्री एल० (तिरुचिरापल्ली)

अताउर्रहमान, श्री (बागपेट)

अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)

अवियोडी, डा० के० जी० (कालीकट)

अण्णानम्बी, श्री आर० (पोल्लाची)

अप्पालानरसिंहम, श्री पी० (अनकापल्ली)

अब्दुल गफूर, श्री (सीवन)

अब्दुल हमीद, श्री (धुबरी)

अब्दुल्ला, बेगम अकबर जहां (अनन्तनाग)

अब्बासी, श्री के० जे० (डुमरियागंज)

अर्जुन सिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)

अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण (बंगलोर दक्षिण)

अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)

अलखाराम, श्री (सलुम्बर)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अहमद, श्रीमती आबिदा (बरेली)

अहमद, श्री सरफराज (गिरिडीह)

अहमद, श्री सैफुद्दीन (मंगलदाई)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)

आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)

उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)

ए

एंथनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

एम्डनी, श्री पी० ए० (त्रिचूर)

ऐ

ऐंगती, श्री बीरेन सिंह (स्वायत्तशासी जिला)

ओ

ओडेदरा, श्री भरत कुमार (पोरबन्दर)

ओडेयार, श्री चनैया (दावनगोर)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

ककाड़े, श्री सांभाजीराव (बारामती)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)

कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)

कल्पना देवी, डा० टी० (वारंगल)

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम (उस्मानाबाद)

कण्णन, श्री पी० (तिरुचेंगोडे)

काबुली, श्री अब्दुल रशीद (श्रीनगर)

कामत, श्री गुरुदास (बम्बई उत्तर पूर्व)

कामसन, प्रो० मिजिनलंग (बाह्य, मणिपुर)

किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द (दमका)

कुंवर राम, श्री (नवादा)

कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)

कुजूर, श्री मारिस (सुन्दरगढ़)

कुञ्जम्बू, श्री के० (अडूर)

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)

कुमारमंगलम, श्री पी० आर० (सलेम)

कुरियन, प्रो० पी० जे० (इदुक्की)

कुरुप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुरेशी, श्री अजीज (सतना)

कुलनदईवेलु, श्री पी० (गोबिचेट्टिपालयम)

केन, श्री लाला राम (बयाना)

केयूर भूषण, श्री (रायपुर)

कोनयक, श्री चिंगवांग (नागालैंड)

कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)

कौशल, श्री जगन्नाथ (चण्डीगढ़)

कृष्ण कुमार, श्री एस० (क्विलोन)

कृष्ण सिंह, श्री (भिण्ड)

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई (बीड़)

ख

खत्री, श्री निर्मल (फैजाबाद)

खां, श्री असलम शेर (बेतूल)

खां, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)

खां, श्री खुर्शीद आलम (फर्रुखाबाद)

खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)

खां, श्री मोहम्मद महफूज अली (एटा)

खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)

खां, श्री रहीम (फरीदाबाद)

खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ (सीतामढ़ी)

ग

गंगा राम, श्री (फिरोजाबाद)

गढ़वी, श्री बी० के० (बनासकांठा)

गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)

गांधी, श्री राजीव (अमेठी)

गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)

गामित, श्री सी० डी० (माण्डवी)

गिल, श्री मेवा सिंह (लुधियाना)

गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)

...कवाड़, श्री रणजीत सिंह (बड़ौदा)

गावली, श्री सीताराम जे० (दादरा और नगर हवेली)

गावीत, श्री मानिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)

गुप्त, श्री जनक राज (जम्मू)

...प्त, श्रीमती प्रभावती (मोतीहारी)

...रड्डी, श्री एस० एम० (बीजापुर)

गुहा, डा० फुलरेणु (कन्टई)

गोपेश्वर, श्री (जमशेदपुर)

गोमांगों, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गोस्वामी, श्री दिनेश (गोहाटी)

गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)

गौडर, श्री ए० एस० (पलानी)

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)

गौडा, श्री के० बी० शंकर (मांड्या)

घ

घोरपड़े, श्री एम० वाई (रायचूर)

...ोलप, श्री एस० जी० (थाणे)

...ष, श्री तरुण कान्ति (बारासट)

घोष, श्री बिमल कान्ति (सीरमपुर)

...ष गोस्वामी, श्रीमती विभा (नवद्वीप)

...शाल, श्री देजी (बैरकपुर)

च

...र्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

...र्वेदी, श्री नरेश चन्द्र (कानपुर)

...र्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)

...शेखर, श्रीमती एम० (श्री पेरम्बुदूर)

...शेखरप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)

चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल (दुर्ग)

चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती (कांगड़ा)

चरण सिंह, श्री (बागपत)

चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)

चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)

चालिहा, श्री पराग (जोरहाट)

चावड़ा, श्री ईश्वर भाई० के० (आनन्द)

चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा० (तिरुपति)

चौधरी, श्रीमती ऊषा (अमरावती)

चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान (मालदा)

चौधरी, श्री जगन्नाथ (बलिया)

चौधरी, श्री नन्दलाल (सागर)

चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)

चौधरी, श्री समर ब्रह्म (कोकराझार)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)

ज

जगतरक्षकन, डा० एस० (चेंगलपट्टू)

जगन्नाथ प्रसाद, श्री (मोहन लालगंज)

जडेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)

जनार्दनन, श्री कादम्बुर (तिरुनेलवेली)

जयदीप सिंह, श्री (गोधरा)

जय मोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)

जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)

जाखड़, डा० बलराम (सीकर)

जाटव, श्री कमोदीलाल (मुरैना)

जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)

जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)

जितेन्द्र सिंह श्री (महाराजगंज)

जीवारथिनम, श्री आर० (अराकोनम)

जुझार सिंह, श्री (झालावाड़)

जेना, (श्री चिन्तामणि (बालासोर)

जैन, श्री डाल चन्द्र (दमोह)

जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (बाड़मेर)

जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)

झ

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी० (चित्तूर)

झिकराम, श्री एम० एल० (मांडला)

ट

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठ

ठक्कर, श्रीमती ऊषा (कच्छ)

ठाकुर, श्री सी० पी० (पटना)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)

डामर, श्री सोमजी भाई (दोहद)

डिगाल, श्री राधाकांत (फूलबनी)

डेनिस, श्री एन० (नागर कोइल)

डोगरा, श्री गिरधारी लाल (ऊधमपुर)

डोन गांवकर, श्री साहब राव पाटिल (औरंगाबाद)

डोरा, श्री एच० ए० (श्रीकाकुलम)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (फिरोजपुर)

त

तंगराजु, श्री एस० (पेरम्बलूर)

तपेश्वर सिंह, श्री (विक्रमगंज)

तम्बिदुराई, श्री एम० (धर्मपुरी)

तांती, श्री भद्रेश्वर (कलियाबोर)

तारादेवी, कुमारी डी० के० (चिकमगलूर)

तारिक अनवर, श्री (कटिहार)

तिग्गा, श्री साइमन (खूंटी)

तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तिलकधारी सिंह, श्री (कोडरमा)

तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)

तुर, सरदार त्रिलोचन सिंह (तरनतारन)

तुलसीराम, श्री वी० (नगरकुरनूल)

तोमर, श्रीमती ऊषा रानी (अलीगढ़)

त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह (मुजफ्फरनगर)

त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर (खलीलाबाद)

त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा (चन्दौली)

थ

थामस, प्रो० के० वी० (एरनाकुलम)

थामस, श्री तम्पन (मवेलिकरा)

थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)

थोटा, श्री गोपाल कृष्ण (काकीनाडा)

थोरट, श्री भाऊसाहिब पंढरपुर

द

दण्डवते, प्रो० मधु (राजापुर)

दत्त, श्री अमल (डायमन्ड हार्बर)

दर्दी, श्री तेजा सिंह (भटिंडा)

दलवाई, श्री हुसैन (रत्नगिरि)

दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)

दलबीर सिंह, चौधरी (सिरसा)

दाभी, श्री अजीत सिंह (केरा)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री बिपिनपाल (तेजपुर)

दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन (हावड़ा)

दास, श्री रेणुपद (कृष्नगर)

दास, श्री सुदर्शन (करीमगंज)

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)

दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)

दिघे, श्री शरद (बम्बई उत्तर-मध्य)

दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

दीक्षित, श्रीमती शीला (कन्नौज)

दूबे, श्री भीष्म देव (बांदा)

देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस० (पार्वतीपुरम)

देव, श्री सन्तोष मोहन (सिलचर)

देव, श्री शरत (केन्द्रपाड़ा)

देवरा, श्री मुरली (बम्बई दक्षिण)

देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)

देवी, प्रो० चन्द्र भानु (बलिया)

ध

धारीवाल, श्री शांति (कोटा)

न

नटराजन, श्री के० आर० (डिण्डिगुल)

नटवर सिंह, श्री के० (भरतपुर)

नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती (करोलबाग)

नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)

नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)

नायक, श्री शांताराम (पणजी)

नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)

नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)

नीखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)

नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह (गढ़वाल)

नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)

नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पांजा, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

पंत, श्री कृष्ण चन्द्र (नई दिल्ली)

पकीर मोहम्मद, श्री ई०एस०एम० (मयूरम)

पटनायक, श्री जगन्नाथ (कालाहन्डी)

पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)

पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ोच)

पटेल, श्री यू० एच० (बलसार)

पटेल, डा० ए० के० (मेहसाना)
पटेल, श्री एच० एम० (साबरकंठा)
पटेल, श्री जी० आई० (गांधीनगर)
पटेल, श्री मोहन भाई (जूनागढ़)
पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री सी० डी० (सूरत)
पडयाच्ची, श्री एस० एम० रामास्वामी (तिंडीवनम)
पनिका, श्री राम प्यारे (राबर्ट्सगंज)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पलाकोंड्रायुडू, श्री एस० (राजमपेट)
पवार, श्री बालासाहिब (जालना)
पवार, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
पांडेय, श्री काली प्रसाद (गोपालगंज)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री मदन (गोरखपुर)
पांडे, श्री मनोज (बेतिया)
पांडे, श्री राज मंगल (देवरिया)
पाइलट, श्री राजेश (दौसा)
पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री एच० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री डी० बी० (कोलाबा)
पाटिल, श्री प्रकाश बी० (सांगली)
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख (अहमदनगर)
पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्डोल)
पाटिल, श्री वीरेन्द्र (गुलबर्गा)
पाटिल, श्री शिवराज वी० (लाटूर)
पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)
पाठक, श्री चन्द्र किशोर (सहरसा)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पारखी, श्री केशवराव (भण्डारा)
पासवान, श्री राम भगत (रोसड़ा)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम (अलप्पी)
पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)
पुष्पा देवी, कुमारी (रायगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (हाथरस)
पेंचालैया, श्री पी० (नेल्लोर)
पेरूमान, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रकाश चन्द्र, श्री (बाढ़)
प्रधान, श्री के० एन० (भोपाल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरि)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उडीपी)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बघेल, श्री प्रताप सिंह (धार)
बच्चन, श्री अमिताभ (इलाहाबाद)
बनर्जी, कुमारी ममता (जादवपुर)
बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)

बलरामन, श्री एल० (बन्दवासी)

बशीर, श्री टी० (चिरायिंकिल)

बसवराजु, श्री जी० एस० (टुमकुर)

बसवराजेश्वरी, श्रीमती (बेल्लारी)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बागुन सुम्ब्रुई, श्री (सिंहभूम)

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)

बालगौड़, श्री टी० (निजामाबाद)

बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)

बिस्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)

बीरबल, श्री (गंगानगर)

बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)

बीरेन्द्र सिंह, श्री (हिसार)

बुडानिया, श्री नरेन्द्र (चुरु)

बुन्देला, श्री सुजान सिंह (झांसी)

बूटा सिंह, सरदार (जालौर)

बैरवा, श्री बनवारी लाल (टोंक)

बैठा, श्री डूमर लाल (अररिया)

बैरागी, श्री बालकवि (मंदसौर)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

ब्रह्मदत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)

भ

भण्डारी, श्रीमती डी० के० (सिक्किम)

भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्वी दिल्ली)

भगत, श्री बी० आर० (आरा)

भट्टाचार्य, श्रीमती इन्दुमती (हुगली)

भरत सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)

भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)

भूपति, श्री जी० (पेद्दापल्ली)

भूमिज, श्री हरेन (डिब्रूगढ़)

भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)

भोई, डा० कृपा सिंधु (सम्बलपुर)

भोय, श्री आर० एम० (धुले)

भोये, श्री एस० एस० (मालेगांव)

भोसले, श्री प्रताप राव बी० (सतारा)

म

मनोरमा सिंह, श्रीमती (बांका)

मण्डल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मकवाना, श्री नरसिंह (धंधुका)

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री पूर्णचन्द्र (दुर्गापुर)

मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)

मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)

महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)

महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)

महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

महातो, श्री चित्त (पुरुलिया)

महालिंगम, श्री एम० (नागापट्टिनम)

महेन्द्र सिंह, श्री (गुना)

माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)

मानवेन्द्र सिंह, श्री (मथुरा)

माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)

माने, श्री मुरलीधर (नासिक)

मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)

मालवीय, श्री बापूलाल, (शाजापुर)

मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई (राजकोट)

मिर्धा, श्री राम निवास (नागौर)

मिश्र, श्री उमाकान्त (मिर्जापुर)

मिश्र, श्री जी० एस० (सिवनी)

मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगिरि)

मिश्र, श्री राम नगीना (सलेमपुर)

मिश्र, श्री विजय कुमार (दरभंगा)

मिश्र, श्री श्रीपति (मछली शहर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मिश्र, डा० प्रभात कुमार (जंजगीर)

मीणा, श्री रामकुमार (सवाई माधोपुर)

मीरा कुमार, श्रीमती (बिजनौर)

मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुवत्तुपुजा)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल (आसनसोल)

मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)

मुरमू, श्री सिद्धलाल (मयूरभंज)

मूक्याई, श्री ए० आर० (करूर)

मुशरान, श्री अजय (जबलपुर)

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री भट्टम श्रीराम (विशाखापत्तनम्)

मेहता, श्री हरुभाई (अहमदाबाद)

मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)

मोदी, श्री विष्णु (अजमेर)

मोरे, प्रो० रामकृष्ण (बीड)

मोहनदास, श्री के० (मुकुन्दपुरम)

य

यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)

याजदानी, डा० गुलाम (रायगंज)

यादव, श्री आर० एन० (परभणी)

यादव, श्री कैलाश (जलेसर)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री महावीर प्रसाद (माधीपुरा)

यादव, श्री राम सिंह (अलवर)

यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)

यादव, श्री श्याम लाल (वाराणसी)

यादव, श्री सुभाष (खारगोन)

योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद (चतरा)

र

रंगनाथ, श्री के० एच० (चित्रदुर्ग)

रंगा, प्रो० एन० जी० (गुंटूर)

रघुराज सिंह, चौधरी (इटावा)

रत्नम, श्री एन० वेंकट (तेंनाली)

रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)

रथ, श्री सोमनाथ (आस्का)

रमैया, श्री बी० बी० (ऐलूरू)

रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम)

राउत, श्री भोला (बगहा)

राज करन सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

राजहंस, डा० गौरी शंकर (झंझारपुर)

राजू, श्री आनन्द गजपति (बोबिली)

राजू, श्री विजय कुमार ((नरसापुर)

राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)

राठवा, श्री अमर सिंह (छोटा उदयपुर)

राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)

राम, श्री राम रतन (हाजीपुर)

राम, श्री रामस्वरूप (गया)

राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)

राम समुझावन, श्री (सैदपुर)

रामधन, श्री (लालगंज)

रामपाल सिंह, श्री (अमरोहा)

राम प्रकाश, चौधरी (अम्बाला)

रामबहादुर सिंह, श्री (छपरा)

राममूर्ति, श्री के० (कृष्णागिरि)

रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री (जहानाबाद)

रामुलू, श्री एच०जी० (कोप्पल)

रामूवालिया, श्री बलवंत सिंह (संगरूर)

राय, श्री आई०रामा (कासरगोड़)

राय, श्री राजकुमार (घोसी)

राय, श्री रामदेव (समस्तीपुर)

राय, डा०सुधीर (बर्दवान)

रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)

राव, श्री ए०जे०वी० बी० महेश्वर (अमलापुरम)

राव, श्री के० एस० (मछलीपत्तनम)

राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)

राव, डा० जी० विजयरामा (सिद्दिपेट)

राव, श्री जे०चोक्का (करीमनगर)

राव, श्री जे० वेंगल (खम्मम)

राव, श्री पी० वी०नरसिंह (रामटेक)

राव, श्री वी०शोभनाद्रीश्वर (विजयवाड़ा)

राव, श्री वी० कृष्ण (चिकबल्लापुर)

राव, श्री श्रीहरि (राजामुन्द्री)

रावणी, श्री नवीन (अमरेली)

रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)

रावत, श्री प्रभुलाल (बांसवाड़ा)

रावत, श्री हरीश (अल्मोड़ा)

रियान, श्री बाजूबन, (त्रिपुरा पूर्व)

रेड्डी, श्री ई० अय्यप्पू (कुरनूल)

रेड्डी, श्री के०रामचन्द्र (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री सी० जंगा (हनमकोंडा)

रेड्डी, श्री डी०एन० (कडप्पा)

रेड्डी, श्री बेजावाड़ा पपी (ओंगोल)

रेड्डी, श्री मानिक (मेंडक)

रेड्डी, श्री बी०एन० (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री एम० सुब्बा (नन्दयाल)

रेड्डी, श्री एम० रघुमा (नालगोंडा)

रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री एस० जयपाल (महबूबनगर)

ल

लच्छी राम, चौधरी (जालौन)

लाल डहोमा, श्री (मिजोरम)

लाहा, श्री आशुतोष (दमदम)

लोवांग, श्री वांगफा (अरुणाचल पूर्व)

व

वन, श्री दीप नारायण (बलरामपुर)

वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई (पाटन)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)

वर्मा, डा० सी० एस० (खगरिया)
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज (मैसूर)
वालिया, श्री चरनजीत सिंह (पटियाला)
वासनिक, श्री मुकुल (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
वीरसेन, श्री (खुर्जा)
वेंकटेश, डा० वी० (कोलार)
वेंकटेशन, श्री टी० आर० एस० (कुड्डालोर)
वैराले, श्री मधुसूदन (अकोला)
व्यास, श्री गिरधारी लाल (भीलवाड़ा)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)
शमिन्दर सिंह, श्री (फरीदकोट)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)
शर्मा, श्री नवल किशोर (जयपुर)
शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)
शांति देवी, श्रीमती (सम्भल)
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)
शाह, श्री अनूपचन्द (बम्बई उत्तर)
शाहबुद्दीन, सैयद (किशनगंज)
शाही, श्री ललितेश्वर (मुजफ्फरपुर)
शिंगड़ा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवेन्द्र बहादुर सिंह श्री (राजनन्दगांव)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेरवानी, श्री सलीम आई० (बदायूं)
शैलेश, डा० बी० एस० (चैल)
श्री निवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

स

संकटा प्रसाद डा० (मिसरिख)
संखवार, श्री आशकरण (घाटमपुर)
संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सकरगयम, श्री कालीचरण (खण्डवा)
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
सान्याल, श्री मानिक (जलपाईगुडी)
सम्बू, श्री सी० (बापताला)
सलाउद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री बसंत (वर्धा)
सामंत, डा० दत्ता (बम्बई दक्षिण मध्य)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
साहु, श्री शिव प्रसाद (रांची)
सिंगरावडीवेल, श्री एस० (तंजावूर)
सिंह, श्री अतीशचन्द्र (बरहामपुर)
सिंह, श्री एन० टोम्बी (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिंह, श्री कमला प्रसाद (जौनपुर)
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप (महाराजगंज)
सिंह, श्री के० एन० (हापुड़)
सिंह, श्री चन्द्रप्रताप नारायण (पडरौना)
सिंह, श्री डी० पी० (शाहबाद)

सिंह, श्री भानु प्रताप (पीलीभीत)

सिंह, श्री लाल विजय प्रताप (सरगुजा)

सिंह, श्री एस० डी० (धनबाद)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)

सिंह, श्री संतोष कुमार (आजमगढ़)

सिंहदेव, श्री के० पी० (ढेंकानाल)

सिद्नाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)

सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद (मुरादाबाद)

सिन्धिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)

सुन्दर सिंह, चोधरी (फिल्लौर)

सुखराम, श्री (मंडी)

सुखाड़िया, श्रीमती इन्दुबाला (उदयपुर)

सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)

सुनील दत्त, श्री (बम्बई उत्तर पश्चिम)

सुन्दरराज, श्री एन० (पुदुकोट्टई)

सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकाशी)

सुब्बूरमन, श्री ए० जी० (मदुरै)

सुमन, श्री रामप्यारे (अकबरपुर)

सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

सुल्तानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह (बीदर)

सेठ, श्री अजीज (धारवाड़ दक्षिण)

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)

सेठी, श्री अनन्त प्रसाद (भद्रक)

सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र (इन्दौर)

सेन, श्री भोला नाथ (कलकत्ता दक्षिण)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेल्वेन्द्रन, श्री पी० (पेरियाकुलम)

सैकिया, श्री गोकुल (लखीमपुर)

सैकिया, श्री एम० आर० (नवगांव)

सोज, प्रो० सैफुद्दीन (बारामूला)

सोढी, श्री मनकूराम (बस्तर)

सोमू, श्री एन० वी० एन० (मद्रास उत्तर)

सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)

सोलंकी, श्री कल्याण सिंह (आंवला)

सोलंकी, श्री नटवर सिंह (कापड़वंज)

स्वामी, श्री कट्टूरी नारायण (नरसारावपेट)

स्वामी, श्री डी० नारायण (अनन्तपुर)

स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)

स्पैरो, श्री आर० एस० (जालंधर)

स्वेल, श्री जी० जी० (शिलांग)

ष

षण्मुखम, श्री ए० सी० (वेल्लोर)

षण्मुखम, श्री पी० (पांडिचेरी)

ह

हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)

हन्नान मोल्लाह, श्री (उलूबेरिया)

हरद्वारी लाल, श्री (रोहतक)

हरपाल सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)

हाल्दर, प्रो० एम० आर० (मथुरापुर)

हेम ब्रम, श्री सेत (राजमहल)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री एम० तम्बि दुराई

सभापति तालिका

श्रीमती बसवराजेश्वरी

श्री जैनुल बशर

श्री शरद दिघे

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन

श्री सोमनाथ रथ

श्री निस्संकारा राव वेंकटरत्नम

महासचिव

डा० सुभाष काश्यप

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

1.	प्रधान मंत्री तथा वित्त; कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन; योजना; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; परमाणु ऊर्जा; इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास; अंतरिक्ष मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी जो किसी मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री या राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं।	श्री राजीव गांधी
2.	मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री पी० वी० नरसिंह राव
3.	रक्षा मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
4.	गृह मंत्री	सरदार बूटा सिंह
5.	वाणिज्य मंत्री	श्री पी० शिव शंकर
6.	विदेश मंत्री	श्री नारायण दत्त तिवारी
7.	कृषि मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
8.	उद्योग मंत्री	श्री जे० वेंगल राव
9.	ऊर्जा मंत्री	श्री वसंत साठे
10.	कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री	श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी
11.	संचार मंत्री	श्री अर्जुन सिंह
12.	विधि और न्याय मंत्री	श्री ए० के० सेन
13.	पर्यावरण और वन मंत्री	श्री भजन लाल
14.	जल संसाधन मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
15.	संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत

16.	इस्पात और खान मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
17.	शहरी विकास मंत्री	श्रीमती मोहसिना किदवई
18.	पर्यटन मंत्री	मुफ्ती मोहम्मद सईद

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री ए० के० पांजा
2.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ब्रह्म दत्त
3.	नागर विमानन मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाइटलर
4.	रेल मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री माधव राव सिंधिया
5.	श्रम मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री पी० ए० संगमा
6.	कल्याण मंत्रालय की (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी
7.	जल भू-तल परिवहन मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री राजेश पायलट
8.	संचार मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री राम निवास मिर्धा

राज्य मन्त्री

1.	रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसन्धान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री	श्री अरुण सिंह
2.	वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री	श्री बी० के० गढवी

3.	गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
4.	शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री दलबीर सिंह
5.	विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री एडुआर्डो फैलीरो
6.	खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री गुलाम नबी आजाद
7.	विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री एच० आर० भारद्वाज
8.	वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री जनार्दन पुजारी
9.	उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री	प्रो० के० के० तिवारी
10.	विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री के० नटवर सिंह
11.	मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री	श्रीमती कृष्णा साही
12.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री	श्री के० आर० नारायणन
13.	मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री	श्रीमती मारग्रेट अल्वा
14.	उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री	श्री एम० अरुणाचलम
15.	संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री एम० एम० जेकब
16.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री पी० चिदम्बरम
17.	वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
18.	कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री	श्री रामानन्द यादव

19.	उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री	श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह
20.	इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री	श्रीमती राम दुलारी सिन्हा
21.	कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री	श्री आर० प्रभु
22.	संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री संतोष मोहन देव
23.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	कुमारी सरोज खापर्डे
24.	संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्रीमती शीला दीक्षित
25.	रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री	श्री शिवराज वी० पाटिल
26.	योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री सुख राम
27.	ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
28.	कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री	श्री योगेन्द्र मकवाना
29.	पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी

उप-मन्त्री

1.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मन्त्री	श्री बीरेन सिंह ऐंगती
2.	कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री	श्री गिरिधर गोमांगो
3.	वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री	श्री एस० कृष्ण कुमार

खण्ड 24, आठवीं लोक सभा के आठवें सत्र का प्रथम दिन अंक 1

लोक सभा

सोमवार, 23 फरवरी, 1987/4 फाल्गुन, 1908 (शक)

लोक सभा 1 बजकर 15 मिनट म० प० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राष्ट्रपति का अभिभाषण

[अनुवाद]

महासचिव : मैं, 23 फरवरी, 1987 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1987 में संसद के इस पहले अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं उनको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

2. 1986 में हमने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी नीति में व्यापक तब्दीलियां की थीं, जिनके लाभ हमें मिले हैं। साथ ही, इसी वर्ष देश की एकता और अखण्डता के सामने बाहरी और अन्दरूनी चुनौतियां थीं, जिनके विरुद्ध राष्ट्र को जूझना पड़ा। हमारा धर्म-निरपेक्ष लोकतन्त्र, साम्प्रदायिक और अलगाववादी ताकतों का साहस के साथ मुकाबला कर रहा है। लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता

और समाजवाद हमारे गणतंत्र के आधार हैं। इन सिद्धांतों में भारतीय जनता के विश्वास को कभी भी कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती।

3. पंजाब में लोकतंत्र, देश की एकता, प्रगति और धर्म-निरपेक्षता की पूरी शक्तियां राष्ट्र-विरोधी तत्वों को अलग-थलग करने और उन्हें मिटाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये राष्ट्र-विरोधी तत्व विदेशी सूत्रों के इशारे व नियंत्रण में काम कर रहे हैं। मुख्य मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला की लीडरशिप में पंजाब की राज्य सरकार और वहां के लोगों ने धर्म-निरपेक्ष प्रजातन्त्र के मूल्यों को कायम रखने में अपूर्व साहस दिखाया है। भारत की एकता और अखण्डता की रक्षा करने में पंजाब के लोग हमेशा आगे रहे हैं। आजादी की लड़ाई में उन्होंने ऐसी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है जिसकी उनके दिल व दिमाग पर धर्म-निरपेक्षता और लोकतन्त्र की कभी न मिटने वाली छाप पड़ी है। यही वजह है कि पंजाब की जनता ने धार्मिक भावनाओं को खतरनाक तरीके से भड़का कर, लोकतन्त्र प्रणाली को उलटने की घोर असंवैधानिक कोशिशों का डटकर मुकाबला किया है। गुरु नानक देव ने जिस महान धर्म की स्थापना की थी, उस धर्म के पवित्र उसूलों और परम्पराओं का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हुए कुछ लोगों ने धार्मिक कार्यकर्ताओं और पवित्र धार्मिक स्थानों को, आतंक फैलाने और सरकारी तन्त्र को तहस-नहस करने का साधन बनाया है। पंजाब का आज यही अहम मसला है। भारत की एकता और अखण्डता के शत्रु साम्प्रदायिक कटुता पैदा करना चाहते हैं और पंजाब में नफरत व हिंसा का वातावरण बनाना चाहते हैं। सरकार उनके नापाक इरादों को विफल करने के लिए कटिबद्ध है। इन प्रतिक्रियावादी, फासिस्ट और राष्ट्र-विरोधी ताकतों पर काबू पाने के लिए जो धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रही हैं, सभी देश प्रेमी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्र और प्रगति में विश्वास रखने वाली ताकतों को एकजुट होकर भारत को मजबूत बनाना है। यह चुनौती हम सबके लिए है। इसे सबको स्वीकार करना होगा।

4. जैसे-जैसे हमारा राष्ट्र अपनी आजादी की 40वीं वर्षगांठ के नजदीक बढ़ रहा है, उसे धार्मिक कट्टरता और फिरकापरस्ती के खतरों का पूरा-पूरा अहसास हो रहा है। अप्रैल, 1948 में हमारी संविधान सभा (विधायी) ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें सरकार से कहा गया था कि वह भारत के राजनीतिक जीवन से फिरकापरस्ती को खत्म करने के लिए कदम उठाए। इससे सिर्फ दो महीने पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उस समय हमारे संविधान-निर्माताओं के दिमाग में दर्दनाक हत्याओं की याद भी ताजा थी। फिरकापरस्ती से देश की एकता को होने वाले खतरे उन्हें साफ नजर आ रहे थे। जैसे-जैसे हमने योजना के जरिए विकास के मार्ग पर कदम रखे, हम यह मान कर चले कि सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साम्प्रदायिक भावना अपने आप कमजोर हो जाएगी। लेकिन हमें अनुभव यह हुआ कि साम्प्रदायिक और कट्टरपंथी ताकतों ने बाहरी ताकतों की मदद और शह पाकर, राष्ट्रवाद, धर्म-निरपेक्षवाद, लोकतन्त्र और समाजवाद के बुनियादी मूल्यों को ही ललकारा है। फिरकापरस्तों और प्रतिक्रियावादियों के नापाक इरादों के विरोध में भारत की एकता और अखण्डता के पवित्र आदर्शों की रक्षा के लिए ही इन्दिरा जी शहीद हुईं। साफ दिखाई दे रही सामाजिक-आर्थिक तरक्की के बावजूद, ये दूषित शक्तियां एक गहरे रोग की तरह जड़ पकड़े हुए हैं। हालात का तकाजा है कि स्थिति का फिर से जायजा लिया जाए और सरकार इस उद्देश्य से

राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता करना चाहती है। अनेकता में एकता हमारी मूल्यवान विरासत है, जिसकी रक्षा सभी प्रकार की फूट डालने वाली ताकतों का मुकाबला करके ही की जा सकती है।

5. आजादी की 40वीं सालगिरह और आधुनिक भारत के निर्माता जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता कि हम अपने राष्ट्र से साम्प्रदायिकता के घातक रोग को मिटाने के लिए एकजुट होकर दृढ़ कार्रवाई करें। भारत के उपराष्ट्रपति इस राष्ट्रीय समारोह समिति के अध्यक्ष हैं। धर्म-निरपेक्षता के आदर्शों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिल में बिठाने के लिए यह समिति व्यापक कार्यक्रम बनाएगी।

6. एक ऐसे समय जब हमारी सरकार पंजाब में आतंकवादी कार्रवाइयों पर काबू पाने में लगी हुई थी, हमारी सीमाओं पर एक नया खतरा पैदा हुआ। जनवरी, 1987 में पाकिस्तान ने अपनी आक्रामक सेनाएं इस तरह तैनात कर दीं कि पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है हमारी सरहद पर ज्यादातर हमारे अर्द्ध-सैनिक बल तैनात हैं। इस स्थिति को देखते हुए, सीमाओं की रक्षा के लिए हमारी सरकार को अपनी सशस्त्र सेनाओं को तैनात करना पड़ा। पाकिस्तानी सेनाओं की आगे की तरफ बढ़ती हुई हलचल के कारण तनाव पैदा हो गया। प्रधान मन्त्री ने दोनों देशों की सरकारों की तुरन्त आपसी बातचीत की पहल की। दोनों सरकारों के बीच अभी हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में बातचीत के दौरान तनाव को कम करने के उपायों पर एक समझौता हुआ। पाकिस्तान रावी-चिनाब क्षेत्र से आर्मी रिजर्व नार्थ को वापस हटाने के लिए सहमत हो गया। आगे बातचीत इस्लामाबाद में होगी। भारत की नीति सभी देशों के साथ शान्ति और सहयोग रखने की है। अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के कई उपाय सरकार ने किए हैं। भारत अपनी प्रभुसत्ता और अखण्डता की रक्षा के लिए दृढ़ रहते हुए, इस बात के लिए हमेशा तैयार है कि दोनों देशों के बीच तनाव और अविश्वास के सभी कारणों को शिमला समझौते के तहत आपसी सहयोग की भावना से दूर किया जाए।

7. 1986 में मिजोरम समझौते के साथ, हमारे देश के उस खूबसूरत इलाके में दशकों से चली आ रही विद्रोह और संघर्ष की स्थिति समाप्त हो गई। इस समझौते के अनुसार, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है और चुनाव कराए गए हैं। एक नई सरकार सत्ता में आई है।

8. अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के लिए संसदीय अधिनियम के पारित हो जाने से, वहां के लोगों की पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने की आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं। नया राज्य 20 फरवरी, 1987 से बन गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के इतिहास में एक नया अध्याय खुल गया है।

9. सरकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषायी मामलों के बारे में हमारे संविधान में जिन पवित्र आश्वासनों को शामिल किया गया है, उनका सही-सही पालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने के लिए

श्रीमती इन्दिरा गांधी के 15-सूत्री कार्यक्रम के अमल की सूचना सावधानीपूर्वक रखी जा रही है।

10. मैंने अपने 20 फरवरी, 1986 के भाषण में, सरकार की 1986-87 और उससे आगे के प्राथमिकता के क्षेत्रों की रूपरेखा पेश की थी। नीति में मुख्यत: इन विषयों पर बल दिया गया था :--

(i) नया बीस-सूत्री कार्यक्रम बनाना;

(ii) नई शिक्षा नीति तैयार करना;

(iii) ग्रामीण और शहरी निर्धनों की दशा सुधारने के लिए तकनीकी मिशन तैयार करना;

(iv) कृषि नीति को नई दिशा देना और हरित क्रान्ति को पूर्वी क्षेत्रों तक ले जाना;

(v) परिवार नियोजन की एक अधिक कारगर नीति;

(vi) औद्योगिक विकास को तेज करना;

(vii) निर्यात और पर्यटन का विकास;

(viii) प्रशासनिक तन्त्र में सुधार; और

(ix) चुनाव नियमों में परिवर्तन।

11. इन सभी क्षेत्रों में मेरी सरकार ने कारंवाई की है और इसके अच्छे परिणाम निकलने शुरू हो गए हैं।

12. सन् 1986 के बीस-सूत्री कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु गरीबी को दूर करना है। नए कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) गरीबी दूर करने के कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को बढ़ाना और उत्पादकता और उत्पादन में सुधार करना है;

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को न्याय मुहैया कराने के लिए कार्यक्रम;

(iii) आमदनी की असमानताओं को कम करना और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना;

(iv) महिलाओं को समान दर्जा दिलवाने के लिए आन्दोलन को मजबूत करना;

(v) युवकों के लिए नए अवसर पैदा करना;

(vi) सभी गांवों के लिए स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था;

(vii) पर्यावरण की सुरक्षा;

(viii) गांवों में ऊर्जा पहुंचाना; और

(ix) संवेदनशील प्रशासन।

13. नई शिक्षा नीति बना ली गई है। यह गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई का एक कारगर हथियार है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य गरीबों और शोषितों तक पहुंचकर उनके हाथों में ऐसे साधन देना है जिससे वे अपने भाग्य के खुद मालिक बन सकें। आपरेशन ब्लैकबोर्ड, गैर-औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और नवोदय विद्यालय जैसे कार्यक्रम शिक्षा में गुणवत्तात्मक परिवर्तन लाएंगे। वे समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को सीधे सहायता पहुंचाएंगे। नई शिक्षा नीति से कौमी एकता भी मजबूत होगी। हमने अपने सभी नागरिकों में इस बात का एहसास जगाने की अहमियत पर जोर दिया है कि भारत की विरासत में हम सबकी शिरकत है। इस काम को नए स्थापित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों ने उत्साहपूर्वक शुरू कर दिया है। उन्होंने राजधानी में अपना उत्सव और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में हमारी संस्कृति के नए तरीके के उत्सव आयोजित किए हैं।

14. जिन क्षेत्रों में पांच तकनीकी मिशन कायम किए गए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(i) सभी गांवों के लिए पीने का पानी;

(ii) निरक्षरता को दूर करना;

(iii) सभी बच्चों का रोगों से प्रतिरक्षण;

(iv) तिलहनों और खाद्य-तेलों का उत्पादन;

(v) बेहतर संचार व्यवस्था।

सरकार मिशनों के लिए एक कारगर प्रबन्ध और मानीटरिंग प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रही है। यहां मुख्य उद्देश्य लोगों को मिशनों से संबंधित क्रियाकलापों में शामिल करना है ताकि वे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की संभावना को कार्यरूप दे सकें।

15. कृषि संबंधी नीति में और सुधार का कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। पूर्वी अंचल में उत्पादकता में वृद्धि ने सरकार की नीति को सही साबित कर दिया है। हमारे भू-संसाधनों के बहुत बड़े भाग में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने और स्थिर करने के लिए चालू वर्ष में 16 बड़े वर्षा सिंचित/सूखी खेती करने वाले राज्यों में वाटर शैड विकास के द्वारा वर्षा सिंचित कृषि का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है। आवश्यक प्रोटीन वाली दालों की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1986-87 में 50 करोड़ रुपये की लागत से एक राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना आरम्भ की गई है।

16. हमने एक नई परिवार नियोजन नीति तैयार की है जिसके अन्तर्गत दो बच्चों के मानदण्ड को स्वेच्छा से स्वीकार करने पर अधिक जोर दिया गया है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, रक्षा, आहार और शिक्षा कार्यक्रमों के साथ समन्वित होगा। सरकार ने निश्चय किया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।

17. उद्योग के क्षेत्र में कार्यकुशलता और आधुनिकीकरण पर दिये गये विशेष जोर के परिणाम सामने आने लगे हैं। औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है।

18. प्राथमिक वस्तुओं और तैयार सामान दोनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित नीति के अनुसार ठोस प्रयास किए गए हैं। हमारी नीति में उत्पादन को संवर्धन-क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। निर्यात हेतु उत्पादन के लिए आधुनिक पूंजीगत माल के आयात पर शुल्क में छूट दी गई है। जिन क्षेत्रों पर हम इस समय जोर दे रहे हैं, वहां मौजूदा तकनीक उपयोग में लाई जा रही है। निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के इरादे से महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक कदम उठाये गये हैं, जैसे नई नकद मुआवजा योजना, शुल्क वापसी प्रणाली, 38 घोषित विषयों में "मोडवेट" की व्यवस्था, निर्यात के लिए लाभ में छूट, निर्यात के लिए जहाज में लदान-पूर्व तथा लदान-बाद ऋण की ब्याज-दरों में भारी कमी तथा नई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर नीति।

19. हमारी प्रशासनिक पद्धति में सुधार की प्रक्रिया की गति तेज हुई है। बदलती परिस्थितियों में ठोस नतीजों पर जोर, सामाजिक जिम्मेदारी और एक नई कार्य पद्धति का प्रशासन में शामिल करना है। इन आस्थाओं के प्रति हमारे लोक-सेवकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। सरकार, कार्य बल के सभी वर्गों के सहयोग से सरकारी प्रबन्ध में गुणवत्ता के एतबार से सुधार लाने के कार्य को आगे बढ़ाने का पक्का इरादा रखती है।

20. हमारी निर्वाचन पद्धति का बुनियादी ढांचा समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसके कारण ही संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्बाध और स्वच्छ चुनाव सम्पन्न हुए हैं और इसी कारण सारी दुनिया में इसको मान्यता तथा प्रशंसा मिली है। मुख्य चुनाव आयुक्त की 1986 की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कुछ सुझाव तय किये हैं जिन पर विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श होना है तथा उन्हें आम बहस के लिए भी खोला जाना है। जैसा कि पहले किया गया था, ऐसे विचार-विमर्श से उत्पन्न सर्वसम्मति के आधार पर आवश्यक कानून बनाये जायेंगे।

21. वर्ष 1986 राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर असर डालने वाले सार्थक कानूनों के लिए याद किया जाएगा। एक कठोर और व्यापक पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया है। पर्यावरण के प्रति हमारे आत्म-चिन्तन को जागृत करने में जितनी अहम भूमिका श्रीमती इन्दिरा गांधी ने निभाई उतनी और किसी ने नहीं। उनकी याद में सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में यह कानून 19 नवम्बर, 1986 से लागू हो गया है।

उपभोक्ताओं के अधिकारों को कानून की पुस्तक में स्थान दिया गया है।

महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिए प्रगतिशील कानून पास किए गए हैं।

व्यापारिक उद्देश्य से अनैतिक व्यभिचार के शिकार सभी व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यभिचार दमन कानून 1956 में संशोधन किया गया है। बच्चों और नाबालिगों की व्यभिचार-कमाई पर जीवन चलाने वालों के लिए और अधिक कठोर सजा निर्धारित की गई है।

दहेज-विरोधी कानून में संशोधन किया गया, जिसके तहत अब यह सिद्ध करने की जिम्मेवारी कि दहेज की कोई मांग नहीं थी, दहेज लेने वाले या दहेज लेने के लिए उकसाने वाले की है। इस कानून के तहत जुर्म के लिए जमानत नहीं हो सकती है।

महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन (निरोधक) कानून पास कर लिया गया है जिसके अन्तर्गत किसी महिला की आकृति, उसके नख-शिख या शरीर के ऐसे अभद्र, असम्मानपूर्ण प्रदर्शन को, जिससे महिलाओं को बेइज्जती हो, दण्डनीय बनाया गया है।

इन कानूनों का एक सार्थक पहलू यह है कि कोई भी नागरिक इनके तहत न्यायालय में जा सकता है। इन व्यापक कानूनों को लागू करने में जनहित-प्रेमी जागरूक नागरिकों का सहयोग बहुत अहमियत रखता है।

22. अब मैं अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्तियों पर बात करूंगा।

23. मानसून का अच्छा रुख न होने के बावजूद, वर्ष 1986-87 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष में भी सातवीं योजना के वृद्धि-दर लक्ष्य पूरे हो जाएंगे।

24. लगातार तीसरे वर्ष पर्याप्त वर्षा न होने के बावजूद खाद्यान्नों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ वृद्धि होगी। सरकार इस बात से चिन्तित है कि हालांकि कृषि उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है पर उत्पादन के एक ऊंचे स्तर पर रुकने के आसार हैं। लगातार तीन वर्षों तक बहुत कम वर्षा होने के कारण भी ऐसा हुआ है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए मूलभूत नीति काफी सुदृढ़ है। सिंचाई की सम्भावनाओं को बढ़ाने और बीजों की ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के

इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने वाली परियोजनाओं और कार्यक्रमों को जोरदार ढंग से लागू करने से, विश्वास है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के वृद्धि-दर लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाएगा। सरकार ने देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी कदम उठाये हैं।

25. बुनियादी औद्योगिक ढांचे की प्रगति वर्ष 1985-86 और 1986-87 में बहुत अच्छी रही है। पिछले दो वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दरें बिजली में 9.5 प्रतिशत, कोयले में 6 प्रतिशत, बाजार-योग्य इस्पात में 7.7 प्रतिशत, होट मैटल धातु में 6.8 प्रतिशत, रेल भाड़े में 8 प्रतिशत और उर्वरकों में 16.5 प्रतिशत होने की आशा है। इस बुनियादी औद्योगिक ढांचे की खासियत यह है कि वार्षिक कार्य निष्पादन में हर तिमाही में लगातार सुधार हुआ है। कई क्षेत्रों में तो किसी एक तिमाही का न्यूनतम उत्पादन, पिछले वर्ष की किसी भी तिमाही के उच्चतम उत्पादन से भी अधिक रहा है। बुनियादी ढांचा अब पूंजीनिवेशों का कुशल उपयोग करने लगा है।

26. पुराने सूचकांक के मुकाबले व्यापार और अधिक नुमाइंदगी वाले औद्योगिक उत्पादन के नए, संशोधित सूचकांक आधार वर्ष (1980-81=100) में संतोषजनक औद्योगिक वृद्धि का संकेत मिलता है। वर्ष 1985-86 में औद्योगिक उत्पादन 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा। वर्ष 1986-87 में वृद्धि दर सात-आठ प्रतिशत होने का अनुमान है। पिछले दो वर्षों में इलैक्ट्रानिकी सामान में प्रभावशाली वृद्धि रही है जिसकी दर करीब 40 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है। हमारे आर्थिक विकास में सरकारी क्षेत्र के उद्यम अहम भूमिका निभाते रहे हैं। वर्ष 1985-86 के अन्त में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कुल पूंजीनिवेश 50,341 करोड़ रुपए था जो वर्ष 1984-85 की तुलना में 14,947 करोड़ रुपये अधिक है। केन्द्रीय सरकार के उद्यमों की आर्थिक उपलब्धि उत्साहजनक रही है। सरकारी उद्यमों की स्वायत्तता को मजबूत करने और उन्हें परिणामों के लिए जिम्मेवार बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

27. खाद्यान्नों का सरकारी भण्डार उच्च स्तर पर रहा है और दिसम्बर, 1986 में यह 230 लाख टन था। इसके कारण ही सरकार जनता में वितरण करने के लिए राज्यों को और अधिक चावल और गेहूं दे सकी, समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं और आहार कार्यक्रमों को रियायती दरों पर गेहूं दे सकी तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण मजदूर रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के लिए और अधिक आवंटन कर सकी। खाद्यान्नों का अच्छा भण्डार होने के कारण ही सरकार काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए सूखाग्रस्त राज्यों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दे सकी।

28. गन्ना और चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीति को और अधिक अनुकूल बनाया गया है। नई द्विवार्षिक चीनी नीति का उद्देश्य गन्ना पैदा करने वाले किसानों को अधिक लाभदायक मूल्य उपलब्ध कराना है। इसके अधीन एक वर्ष पूर्व ही कानूनी न्यूनतम मूल्य घोषित करने से भी माहौल स्थिर हुआ है। इस नीति के परिणामस्वरूप वर्ष 1985-86 में चीनी का उत्पादन करीब दस लाख टन बढ़ा है और वर्ष 1986-87 के दौरान इसमें और वृद्धि होने की आशा है। इसी वजह से

सरकार चीनी का आयात कम करने में सफल हुई है।

29. तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी मिशन ने काम करना आरम्भ कर दिया है। वर्ष 1989-90 में तिलहनों की पैदावार को 180 लाख टन तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है। 1986---90 के दौरान इस कार्यक्रम पर 170 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। प्रतिकूल मौसम के कारण कृषि क्षेत्रफल में 3 प्रतिशत की कमी आ जाने के बावजूद वर्ष 1985 की तुलना में वर्ष 1986 की खरीफ फसल में तिलहनों की उत्पादकता में 10 प्रतिशत और उत्पादन में 7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। देसी पैदावार को प्रोत्साहन देने के लिए खाद्य तेलों का आयात कम किया गया। वर्ष 1985-86 में आयात में लागत के हिसाब से 55 प्रतिशत और परिमाण के हिसाब से 15 प्रतिशत की कमी की गई। गौण तिलहनों और धान की भूसी से अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिये गये।

30. वर्ष .986-87 में गरीबी के खिलाफ कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) और रोजगार कार्यक्रम गरीबी के खिलाफ अभियान के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग हैं। वर्ष 1986-87 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 543.83 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई। इसकी तुलना वर्ष 1984-85 में दिए गए 207.7 करोड़ रुपये और वर्ष 1985-86 में दिए गए 205.9 करोड़ रुपये से की जा सकती है। दिसम्बर, 1986 के अन्त तक 20.7 लाख परिवारों को सहायता दी जा चुकी थी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो नई विशेषताएं लाई गई हैं, वे हैं—प्रति परिवार पूंजीनिवेश का उच्चतर स्तर, अगले और पिछले सम्पर्कों का प्रावधान, लाभ-प्राप्तकर्ताओं के प्रशिक्षण पर बल, स्वैच्छिक संस्थाओं की शिरकत, समवर्ती मूल्यांकन का प्रावधान तथा महिलाओं को और अधिक सहायता देना। इन सभी कार्यक्रमों में अत्यन्त गरीब लोगों एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को अधिक से अधिक सहायता देने पर मूल रूप से बल दिया गया है।

31. 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को सुदृढ़ किया गया। इससे कुल 5500 लाख मनुष्य-दिवस रोजगार पैदा होने की आशा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1984-85 में 230 करोड़ रुपये और 1985-86 में 337.21 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले केन्द्र द्वारा 1986-87 में कुल 479.75 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन, जिसके लिए सम्पूर्ण धन-व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाती है, 1986-87 के लिए 731.10 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया जिसकी तुलना में 1984-85 में उपलब्ध कराए गए 400 करोड़ रुपये और 1985-86 में 606.33 करोड़ रुपये से की जा सकती है।

32. 1986 के 20-सूत्री कार्यक्रम में सभी गांवों में पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराए जाने पर बल दिया गया है। 1986-87 में, केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में पेय जल कार्यक्रम के लिए

कुल 794.05 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। इस कार्यक्रम के तहत 40,000 गांवों के आ जाने की आशा है जो 35,930 गांवों के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए जलपूर्ति की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

33. 1986-87 में वार्षिक योजना के परिव्यय में काफी वृद्धि की गई थी। हमारी योजना के इतिहास में पहली बार, योजना अवधि के पहले दो वर्षों में पंचवर्षीय योजना का 40 प्रतिशत धन वास्तविक रूप से उपलब्ध करा दिया गया। संसाधनों का आवंटन करने में गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों को और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता दी गई। गरीबी-विरोधी मुख्य कार्यक्रमों के लिए परिव्यय में 65 प्रतिशत की भारी वृद्धि की गई। कृषि, ग्रामीण विकास और सिंचाई के लिए परिव्यय में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि की गई। शिक्षा सम्बन्धी परिव्यय में लगभग 60 प्रतिशत वृद्धि की गई है। 1986-87 की केन्द्रीय योजना में 22,300 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था जिसमें पिछले वर्ष के परिव्यय के मुकाबले 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। योजना में वास्तव में ज्यादा धनराशि, 23,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। भारत के विकास में मूलभूत भूमिका निभाने के सरकार के दृढ़ संकल्प का इससे बेहतर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता।

34. सरकार ने लम्बी अवधि की वित्तीय नीति में निहित बुनियादी प्रस्तावों पर अमल करने के लिए उपाय किए हैं। कर-ढांचे में सुधार करके उसे सरल बनाया जा रहा है। कर की अदायगी को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रशासन और प्रवर्तन के द्वारा विकास के लिए संसाधन जुटाने पर अधिक जोर दिया गया है, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थायी वित्तीय माहौल पैदा किया जा रहा है, और वित्तीय नीति के सम्बन्ध में ज्यादा खुला हुआ दृष्टिकोण अपनाया गया है।

35. केन्द्रीय सरकार के राजस्व, जिसमें 1985-86 में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अप्रैल-दिसम्बर, 1986 में 17 प्रतिशत से अधिक और वृद्धि हुई है। वैयक्तिक आयकर की वसूलियों में 1985-86 में 30 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हुई है, अप्रैल-दिसम्बर, 1986 में इनमे 16 प्रतिशत और वृद्धि हुई है। केन्द्रीय राजस्व में लगातार वृद्धि ने करों की तर्कसंगत दरों और कर सम्बन्धी कानूनों को सख्ती से लागू करने के प्रति सरकार के मौलिक दृष्टिकोण को सही ठहराया है।

36. निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल की एक निर्यात सम्बन्धी समिति का गठन किया गया। अप्रैल नवम्बर, 1986 में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 17.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। उसी अवधि में निर्यात में केवल 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, व्यापार-घाटे में काफी कमी आई है। फिर भी हम संतुष्ट नहीं बैठ सकते। आत्मनिर्भर होने और पूरी तरह से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए अथक कोशिशें करने की जरूरत है।

37. चालू वर्ष में हमने दस लाख विदेशी पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य पार कर लिया है। 1985-86 के दौरान 1300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय के मुकाबले, पर्यटन से लगभग 1600 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू पर्यटन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार मार्गीय सुविधाएं, वन्य प्राणी विहारों, ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों और सस्ते पर्यटक आवासों के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

38. जबकि संसाधन जुटाने के मामले में शानदार नतीजे हासिल हुए हैं सरकारी खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए इसी तरह की कोशिश करनी होगी। सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकास की आवश्यकता, गैर-उत्पादक खर्च पर रोक लगाने की ओर गम्भीरता से ध्यान देने पर मजबूर करती है।

39. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चिंता का विषय है। यह जरूर है कि यदि कीमतों को थोक मूल्य सूचकांक की दृष्टि से देखें तो मुद्रा के फैलाव को तर्कसंगत सीमा के भीतर रखा गया है। सरकार हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के फैलाव की प्रवृत्ति को प्रभावहीन करने की नीतियों का अनुसरण करती रहेगी।

40. पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार की सही प्रवृत्ति देखने में आई है। हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या 1984 में 2094 से घटकर 1985 में 1716 और 1986 में (जनवरी से अक्तूबर तक) 1234 हो गई। औद्योगिक विवादों के कारण होने वाली मनुष्य-दिवसों की हानि में कमी आई है। 1984 में 560.3 लाख मनुष्य-दिवसों की क्षति के मुकाबले 1985 में 293.7 लाख मनुष्य-दिवसों और 1986 में (जनवरी से अक्तूबर तक) 194.1 लाख मनुष्य-दिवसों की क्षति हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं कि असंगठित श्रमिकों को उनके जायज फायदे मिल सकें।

पिछले दो वर्षों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए औद्योगिक श्रमिकों ने प्रशंसनीय योगदान दिया है। सरकार उनके हित की रक्षा करने और औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है।

41. सरकार न्याय पर आधारित विश्व समाज का निर्माण करने में शान्ति, निरस्त्रीकरण, विकास और सभी देशों के साथ सहयोग की अपनी गुटनिरपेक्ष विवेक नीति के उद्देश्यों के लिए कोशिश कर रही है।

42. पांच महाद्वीपों के छह राष्ट्रों की पहल से, जिसमें अर्जेन्टीना, यूनान, भारत, मेक्सिको, स्वीडन और तंजानिया शामिल हैं, परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए लगातार और भारी कोशिशों के पक्ष में संसार भर में लोकमत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। रेकजेविक में परमाणु अस्त्रों की होड़ को खत्म करने के लिए प्रभावकारी प्रस्ताव रखे गए। दुर्भाग्य की बात है कि उन पर कोई समझौता नहीं हो सका। हमने अमरीका और सोवियत संघ दोनों से शांति और परमाणु हथियारों से मुक्त समाज की स्थापना के लिए मानवजाति की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखने का आग्रह किया है।

43. हरारे गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत ने आंदोलन की अध्यक्षता जिम्बाबवे को सौंप दी। सम्मेलन में गुट-निरपेक्षता को मजबूत करने और इस आंदोलन के मूल उद्देश्यों को और पक्का करने में हमारे देश की भूमिका की प्रशंसा की गई। सम्मेलन ने, रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने और अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रों के प्रयासों को समर्थन देने के लिए नवगठित अफ्रीका कोष समिति की अध्यक्षता हमारे प्रधान मंत्री को सौंप दी। 24-25 जनवरी, 1987 को दिल्ली में हुए अफ्रीका कोष शिखर सम्मेलन ने हरारे की धारणा को ठोस आकार दिया है। सरकार यह मानती है कि व्यापक अनिवार्य प्रतिबन्ध ही दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार को रक्तपात रोकने और विवेक की आवाज सुनने पर मजबूर कर सकते हैं। जो सरकारें अपने व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्धों के कारण दक्षिण अफ्रीका पर दबाव डालने की स्थिति में हैं उन्हें व्यापक अनिवार्य प्रतिबन्धों के जरिए अपना दबाव तेज करना होगा।

44. हमारे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की भारत की नीति के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। भारत की अध्यक्षता में नवम्बर, 1986 में बंगलौर में हुए सफल सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग के लाभों को दर्शाया है। अब सार्क का एक स्थायी सचिवालय काठमांडू में स्थापित किया गया है। सार्क सहयोग के कार्यक्रम के लिए नये क्षेत्रों का पता लगाया गया है जिनमें नशीले पदार्थों के व्यापार पर नियंत्रण, बाल कल्याण, प्रसारण, पर्यटन और वजीफे शामिल हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने सार्क बैठक के अवसर का उपयोगी द्विपक्षीय विचार-विमर्श के लिए लाभ उठाया है।

45. पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमाओं पर अपनी फौजें तैनात किए जाने से हुई बाधा के बावजूद, पाकिस्तान के साथ सहयोग का आधार बनाने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। सम्बन्धों को सामान्य बनाने की राह में जो मुख्य बाधाएं हैं, वे हैं पाकिस्तान द्वारा गुप्त रूप से परमाणु हथियारों की क्षमता प्राप्त करने का प्रयास, उसका शस्त्र कार्यक्रम, जिसका हमारे सुरक्षा के वातावरण पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है, और पंजाब में राष्ट्र-विरोधी तथा अलगाववादी तत्वों को इसका समर्थन।

46. यह दुर्भाग्य की बात है कि श्रीलंका के साथ बंगलौर में हमारे द्विपक्षीय विचार-विमर्श और बाद में दिसम्बर, 1986 में उच्चस्तरीय परामर्श से उत्पन्न आशाओं को ठेस पहुंची है। श्रीलंका सरकार के 19 दिसम्बर, 1986 के अपने फार्मूले के बारे में उनके ढुलमुल रवैये के कारण बातचीत की प्रक्रिया में बाधा पहुंची है। श्रीलंका की सुरक्षा सेनाओं द्वारा चलाए गए भारी सैनिक अभियानों और जाफना क्षेत्र की आर्थिक नाकाबंदी के कारण और जटिलताएं पैदा हुई हैं। श्रीलंका की तमिल असैनिक आबादी को जिन कठिनाइयों और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और जान से हाथ धोना पड़ रहा है उसके प्रति हमारी गहरी चिन्ता है। श्रीलंका के जातीय मसले को केवल राजनीतिक बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है।

47. मेरी सरकार चीन के साथ सीमा प्रश्नों के न्याय संगत और शान्तिपूर्ण हल के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हमारे सम्बन्धों को पूरी तरह से सामान्य बनाने में यह प्रश्न महत्वपूर्ण बना

हुआ है। सीमा पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना चिन्ता का कारण बनी हुई है। सीमा प्रश्न पर हमारी स्थिति को सभी अच्छी तरह जानते हैं। इस प्रश्न पर चीन के साथ हमारी बातचीत जारी है।

48. हम फिलिस्तीनी जनता के अभेद्य अधिकारों की हिमायत करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोगों के मुक्ति संघर्ष का समर्थन करते हैं। हम ईरान और इराक के बीच भाई-भाई की लड़ाई का जल्द खात्मा चाहते हैं। हम मध्य अमरीका में संकट के शांतिपूर्ण स्थायी हल के लिए कॉन्टाडोरा ग्रुप के प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम अफगानिस्तान के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहल का भी समर्थन करते हैं। अफगानिस्तान के बारे में शेष मुद्दों पर लचीली प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि अफगानिस्तान को एक ऐसे स्वतंत्र, गुटनिरपेक्ष देश का दर्जा मुकम्मल करने की परिस्थितियां शीघ्र बनेंगी और उनमें कोई बाहरी ताकतों से दखलअंदाजी और प्रवेश नहीं होगा।

49. पिछले साल मैंने नेपाल, यूनान, पोलैंड और यूगोस्लाविया की सद्भावना यात्राएं कीं। उप-राष्ट्रपति फ्रांस और बोत्सवाना गए। प्रधान मंत्री ने मालदीव, जाम्बिया, जिम्बाबवे, अंगोला, तंजानिया, मारिशस, मेक्सिको, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और थाईलैंड की द्विपक्षीय यात्राएं कीं। प्रधान मंत्री ने लंदन में राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की समीक्षात्मक बैठक, पांच महाद्वीपों के छह राष्ट्रों की शान्ति के लिए पहल से सम्बन्धित शिखर बैठक में इक्सतपा में और हरारे में आठवें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इसके अलावा उन्होंने स्वीडन के स्वर्गीय प्रधान मंत्री ओलोफ पाल्मे के अन्तिम संस्कार में शामिल होने के लिए स्वीडन की भी यात्रा की।

50. हमें यूनान के प्रधान मंत्री, कोरिया गणराज्य के प्रधान मंत्री, तुर्की के प्रधान मंत्री, सेशल्स के राष्ट्रपति, जर्मन जनवादी गणतंत्र के चांसलर, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, स्वापो के अध्यक्ष, बंगलादेश के राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया के प्रधान मंत्री, निकारागुआ के राष्ट्रपति, जाम्बिया के प्रधान मंत्री, जार्डन के शाह, डेनमार्क के प्रधान मंत्री, पेरू के राष्ट्रपति, मलेशिया के प्रधान मंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति की मेजबानी करने का मौका मिला। पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन के तत्कालीन प्रधान मंत्री और अब राष्ट्रपति तथा इटली के प्रधान मंत्री अपनी यात्राओं के दौरान भारत में रुके। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल हक गैर-सरकारी यात्रा पर आए।

51. इन द्विपक्षीय यात्राओं से इन देशों के साथ हमारे मैत्री सम्बन्ध मजबूत हुए हैं। आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए बहुत से करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

52. भारत-सोवियत संघ के बीच 40 वर्षों के सहयोग से उभरे घनिष्ट मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के संदर्भ में, सी० पी० एस० यू० के जनरल सैक्रेटरी, श्री गोरबाचोव की यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना थी। श्री गोरबाचोव और हमारे प्रधान मंत्री ने दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिससे अहिंसा, न्याय तथा समता पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए एक बिल्कुल नई संरचना उपलब्ध हुई है। इसका मानवता की कठिन समस्याओं के अनुरूप नये दृष्टिकोण और मूल्यों की स्थापना करने में विश्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा।

53. सरकार की नीति का जोर समाज के आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के के कल्याण में सुधार लाने पर है। पिछले दो सालों में लागू की गई नीतियों और कार्यक्रमों का ज्यादा जोर भूमिहीन कृषि मजदूरों, छोटे मामूली किसानों, कारीगरों और दस्तकारों, हथकरघा बुनकरों, महिलाओं और बच्चों, शहरी गरीबों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सहायता करने पर रहा है। हमारी विकास नीति में सामाजिक न्याय पर जोर दिया जाता रहा है। हम इस सर्वोपरि उद्देश्य पर कायम रहेंगे।

54. बहुत-सी समस्याओं के बावजूद, लोगों में एक मजबूत और खुशहाल भारत बनाने की अपनी क्षमता में पूरा विश्वास है। यह विश्वास हमारी शानदार उपलब्धियों का नतीजा है। भारत स्थिरता तथा प्रगति का प्रतीक बनकर मजबूती से खड़ा है। बुनियादी मूल्यों के प्रति हमारी वचन-बद्धता और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के हमारे दृढ़ संकल्प ने हमें अपना सिर ऊंचा उठाकर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान की है। हमें अभी बहुत कुछ करना है। जनता के सहयोग और असीम उत्साह की मदद से मेरी सरकार देश को अपने चुने हुए रास्ते पर और आगे ले जाएगी।

55. हमारे कार्य मुख्य रूप से मूल-भूत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय संबद्धता को मजबूत बनाया जाएगा। साम्प्रदायिकता का दृढ़ता से मुकाबला किया जाएगा। गरीबी के खिलाफ कार्यक्रम को पूरी शक्ति से लागू किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों को मजबूत बनाया जाएगा और उनमें विस्तार किया जाएगा ताकि विकास कार्य में हम आत्मनिर्भर हों। युवकों की शक्ति और स्फूर्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे। आजादी की लड़ाई में हमारी कुर्बानी की जो भावना रही थी हमें उसे फिर से जागृत करना है ताकि हम मौजूदा चुनौतियों का सामना कर सकें। हमारे दिलों में राष्ट्र निर्माण का जज्बा होना चाहिए। इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द

1.16 म० प०

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज हम लगभग $2\frac{1}{2}$ माह के अन्तराल के पश्चात् मिल रहे हैं और मुझे सदन को लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री सुन्दर लाल तथा हमारे सात पुराने सहयोगियों सर्वश्री तुकाराम शंकर पाटिल, राजनारायण, हरे कृष्ण मेहताब, जयराम वर्मा, सरदार सिंह, सैयद अहमद और महामाया प्रसाद सिन्हा के दुखद निधन की सूचना देते हुए दु:ख हो रहा है।

श्री सुन्दर लाल वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे और उत्तर प्रदेश के हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र से

चुनकर आये थे। इससे पहले वह 1946-50, 1952-57, 1957-62, 1962-67, 1967-70 और 1971-77 के दौरान क्रमशः संविधान सभा अन्तरिम संसद, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल गए। वह एक अच्छे सांसद थे, सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि रखते थे तथा समाज के पददलितों और कमजोर वर्गों की विभिन्न समस्याओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करते थे।

श्री सुन्दर लाल का 3 जनवरी, 1987 को 66 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हुआ।

श्री तुकाराम शंकर पाटिल 1960-62 के दौरान दूसरी लोक सभा के सदस्य थे और महाराष्ट्र के अकोला निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे।

वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

श्री पाटिल का 12 दिसम्बर, 1986 को मलकापुर में निधन हुआ।

श्री राजनारायण 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे, वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए थे। इससे पूर्व वह 1952 तथा 1957 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। 1966-72 और 1974-76 के दौरान वह राज्य सभा के भी सदस्य रहे। 1977 में उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री राजनारायण एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और अपनी छोटी उम्र से ही स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बद्ध रहे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और लम्बी अवधि तक जेल में रहे। वह एक योग्य संसदविद थे तथा संसद में अपनी उपस्थित का भान कराते थे।

श्री राजनारायण एक जाने-माने राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा पददलितों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे और लड़ते रहे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की और वह आचार्य नरेन्द्र देव और डाक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे वयोवृद्ध समाजवादी नेताओं से बड़े निकट रूप से सम्बद्ध रहे। उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की तथा वह योग, भारतीय संस्कृति और दर्शन में गहरी रुचि रखते थे।

श्री राजनारायण का निधन 31 दिसम्बर, 1986 को 70 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री हरे कृष्ण मेहताब क्रमश: 1946-50, 1950-52, 1952-55 और 1962-67 के दौरान संविधान सभा, अन्तरिम संसद पहली और तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। वह उड़ीसा के अंगुल

निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे। 1956-61 के दौरान उड़ीसा विधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री मेहताब एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी तथा लम्बे समय तक जेल में रहे। वह 1946-50 के दौरान और फिर 1956-60 के दौरान उड़ीसा के मुख्य मंत्री रहे। भूतपूर्व रजवाड़ों का उड़ीसा में विलय करने में उनका भारी योगदान रहा। उड़ीसा के मुख्य मंत्री के उनके कार्यकाल के दौरान ही हीराकुंड बांध तथा राज्य की नई राजधानी भुवनेश्वर के निर्माण की स्वीकृति मिली थी और निर्माण कार्य आरम्भ हुआ था। वह 1950-52 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल में उद्योग और वाणिज्य मंत्री रहे तथा 1955-56 के दौरान तत्कालीन बम्बई प्रेजीडेंसी के राज्यपाल रहे।

श्री मेहताब एक प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे तथा उन्होंने अंग्रेजी और उड़िया में अनेक पुस्तकें और उपन्यास लिखे। वह उड़ीसा साहित्य अकादमी, उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी और उड़ीसा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे वह प्रसिद्ध इतिहासकार थे और उन्हें आंध्र, उत्कल और सागर विश्वविद्यालयों द्वारा क्रमश: डा० आफ लेटर्स, डा० आफ लिट्रेचर और डा० आफ लॉज की डिग्रियों से सम्मानित किया गया। उन्हें दैनिक समाचारपत्रों में उनके लेखों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

श्री मेहताब का 2 जनवरी, 1987 को 88 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में निधन हुआ।

श्री जयराम वर्मा 1980-84 के दौरान सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। वह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए थे। वह 1946-68 और 1970-74 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह राज्य मंत्रीमंडल में कई वर्षों तक मंत्री रहे।

श्री वर्मा एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी तथा जेल गए। वह एक निष्ठावान राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। वह उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के सभापति और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के उप-प्रधान रहे। वह अनेक शिक्षा संस्थानों के संस्थापक थे तथा विभिन्न रूपों में उनके प्रबंध से सम्बद्ध रहे। कृषक होने के नाते उन्होंने कृषि के विस्तार में गहरी रुचि दिखाई और राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम के 1977 में सभापति रहे।

श्री वर्मा का निधन 13 जनवरी, 1987 को 83 वर्ष की आयु में लखनऊ में हुआ।

श्री सरदार सिंह 1947-50 के दौरान संविधान सभा और अन्तरिम संसद के तत्कालीन जयपुर राज्य से सदस्य रहे। 1945 में वह जयपुर विधान परिषद के सदस्य रहे।

श्री सरदार सिंह एक वयोवृद्ध राजनयिक थे और 1958-61 के दौरान लाओस में भारत के राजदूत रहे। वह एक मानव कल्याणकारी और शिक्षाविद थे। उन्होंने खेतरी न्यास की स्थापना की

तथा उसमें शिक्षा, विज्ञान, साहित्य और कला की उन्नति के लिए अपनी समस्त सम्पत्ति का दान कर दिया।

श्री सरदार सिंह का निधन 28 जनवरी, 1987 को 67 वर्ष की आयु में बम्बई में हुआ।

श्री सैयद अहमद 1952—55 के दौरान पहली लोक सभा के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रहे। वह 196 :—74 के दौरान राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री सैयद अहमद एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे तथा उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया तथा लम्बे समय तक जेल में रहे। पेशे से वकील होने के नाते उन्होंने संसदीय गतिविधियों में गहरी रुचि ली।

श्री सैयद अहमद का निधन 2 फरवरी, 1987 को 91 वर्ष की आयु में होशंगाबाद में हुआ।

श्री महामाया प्रसाद सिन्हा 1977—79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य रहे। वह बिहार के पटना निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए थे। इससे पूर्व वह 1950-52 के दौरान अन्तरिम संसद और बिहार विधान सभा तथा परिषद के क्रमश: 1946—50 और 1952—74 के दौरान सदस्य रहे।

श्री सिन्हा एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया तथा जेल गए। वह एक योग्य प्रशासक थे और बिहार के एक कुल मुख्य मंत्री रहे।

वह जाने-माने राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने नशाबंदी, छुआछूत निवारण और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया।

श्री महामाया प्रसाद सिन्हा का निधन 12 फरवरी, 1987 को 78 वर्ष की आयु में पटना में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि सभा भी मेरे साथ शोकसंतप्त परिवारों को संवेदना प्रकट करेगी।

सभा अब संवेदना व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

1.22 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात् हुई हिंसात्मक घटनाओं के बारे में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जांच आयोग का प्रतिवेदन तथा उस पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा (3) की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात दिल्ली में हुई आयोजित हिंसात्मक घटनाओं और बोकारो तहसील और छार तहसील तथा कानपुर में हुए दंगों के बारे में आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जांच आयोग का प्रतिवेदन (खण्ड 1 और 2)।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—3666/87]

मिजोरम राज्य (संशोधन) अध्यादेश, तथा दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1987

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मिजोरम राज्य (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का संख्या), जो 30 दिसम्बर, 1986 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(2) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का संख्या 1), जो 5 फरवरी, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3658/87]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, आय कर अधिनियम तथा सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (अठारहवां संशोधन) नियम, 1986, जो 30 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 1340 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रख गई। देखिये संख्या एल० टी०— 3659/87].

(2) आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1986, जो 1` दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 912 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० —3660/87]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 963 (अ), जो 29 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं की भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा की विदेशी मुद्राओं में विनिमय की नई दरें निर्धारित करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 1236 (अ) जो 28 नवम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय विशिष्टियों वाले मृततापित मैगनीशिया को उस पर उद्ग्रहणीय 25 प्रतिशत से अधिक सीमा-शुल्क से छूट के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 1242 (अ), जो 3 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 158 सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि ऐसे कच्चे नेपथा को, जिसे पेट्रोरसायनों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है और जिसे पेट्रोलियम उत्पादों के आगे संसाधन के लिए अन्य परिष्करणी में लौटाया जाता है, सीमा

[श्री जनार्दन पुजारी]

शुल्क से छूट का लाभ दिया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 1262 (अ) जो 5 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रूसी रूबल का भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा का रूसी रूबल में संपरिवर्तन करने के लिए विनिमय दर निर्धारित करती है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 1263 (अ), जो 5 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो डेनमार्क के क्रोनर, डूसे मार्क, डच गिल्डर, फ्रांस के फ्रेंक, इतालवी लीरा को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को इन मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० का० नि० 1283 (अ), जो 12 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 8 जनवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 6/86 सीमा-शुल्क का शुद्धि पत्र है।

(सात) सा० का० नि० 1285 (अ), जो 12 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय विशिष्टियों वाले मृत तापित मैगनिशिया को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उपसंगी शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 1291 (अ), जो 18 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो जूट स्प्रेडर, जूट के लिए वलय स्पिनिंग फ्रेम जूट के लिए लपेटन यार्न स्पिनिंग फ्रेम आदि जूट मशीनरी को इस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 1292 (अ), जो 18 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 18 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 489/85-सीमाशुल्क के क्षेत्र में आई विनिर्दिष्ट जूट मशीनरी को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उपसंगी सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 1293 (अ), जो 19 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 15 फरवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या 21/84-सीमाशुल्क की विधि मान्यता को 31 दिसम्बर, 1987 तक बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 1299(अ), जो 22 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तांबे के विभिन्न "डाउन स्ट्रीम" उत्पादों की शुल्क संरचना में परिवर्तन किये गये हैं ताकि सब मिलाकर तांबे के विभिन्न उत्पादों और अनगढ़े तांबे पर सीमाशुल्क भेद बनाए रखा जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 1300(अ), जो 22 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा जिंक ब्रास, एल्यूमीनियम, सीसे और तांबे पर मूल सीमाशुल्क बढ़ाया गया है ताकि इसे इन वस्तुओं के अवशिष्ट और स्क्रैप पर लागू मूल सीमाशुल्क की दर के बराबर लाया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 1304(अ), जो 23 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 356/85-सीमाशुल्क की वैधता 31 दिसम्बर, 1987 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 1305(अ), जो 23 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जनवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 24/86-सीमाशुल्क की वैधता 30 जून, 1987 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 1307(अ), जो 23 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कास्टिक सोडा ठोस पर 3500/- रुपये प्रति टन की दर से मूल सीमाशुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा०का०नि० 1308(अ), जो 23 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कास्टिक सोडा ठोस को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्री जनार्दन पुजारी]

(सत्रह) सा०का०नि० 1309(अ), जो 23 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संकरा प्रत्यास्थ फीतों को छोड़कर संकरा फैब्रिकों सहित सभी वस्तुओं पर मूल सीमाशुल्क की दर को मूल्यानुसार 100 प्रतिशत बनाये रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा०का०नि० 1310(अ), जो 23 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संकरा प्रत्यास्थ फीतों पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत उपसंगी सीमाशुल्क निर्धारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा०का०नि० 1311(अ), जो 23 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संकरा प्रत्यास्थ फीतों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा०का०नि० 1321(अ), जो 24 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कंप्यूटर उपस्करों को, जब उनका आयात भारत में किया जाये, उन पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 60 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क तथा उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा०का०नि० 1322(अ), जो 24 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कंप्यूटर उपस्करों को, जब उनका आयात भारत में किया जाये, उन पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क और उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा०का०नि० 1323(अ), जो 24 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कम्प्यूटर उपस्करों को, जब उनका आयात भारत में किया जाये, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उपसंगी सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा०का०नि० 1324(अ), जो 24 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 19 नवम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या 280/84-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि इलैक्ट्रो-

निकी विभाग से अनिवार्यता प्रमाण-पत्र दिखाने की शर्त को रद्द किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा०का०नि० 1327(अ), जो 26 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 30 अक्तूबर, 1984 की अधिसूचना संख्या 268/84-सीमाशुल्क तथा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 75/85 और 74/85 सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा०का०नि० 1335(अ), जो 29 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 11 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना संख्या 123/85-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि मूल सीमाशुल्क की प्रभावी दर को शून्य से बढ़ाकर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत तक किया जा सके और उसकी वैधता 31-12-87 तक बढ़ाई जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा०का०नि० 1351(अ), जो 31 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 16 जनवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 10/85-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि वाणिज्यिक वाहनों के संघटकों के आयात के लिए रियायती दर की वैधता को एक और वर्ष, अर्थात् 31 दिसम्बर, 1987 तक बढ़ाया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा०का०नि० 1352(अ), जो 31 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका उद्देश्य प्रोपिलीन सहबहुलकों के बारे में मूल्यानुसार 60 प्रतिशत की मूल सीमाशुल्क की रियायती दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठाईस) सा०का०नि० 1353(अ) और 1354(अ), जो 31 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन दक्ष मोटर कारों या ईंधन दक्ष वेनों के गाड़ी पैनलों के विनिर्माण के लिए आयातित इस्पात की चादरों और शीटों को, मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क, समस्त अतिरिक्त सीमाशुल्क तथा मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल०टी०---3661/87]

[श्री जनार्दन पुजारी]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 1238 (अ), जो 1 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 71/86-के०उ०सु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि विकलांगों के लिए कृत्रिम अंगों और पुनःस्थापन सहाय के पुर्जों और संघटकों को उस स्थिति में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट दी जा सके जब उनका इस्तेमाल उत्पादन के कारखाने में किया जाये, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 1249 (अ), जो 4 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 नवम्बर, 1962 की अधिसूचना संख्या 197/62 के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि चाय के निर्यात पर 9 दिसम्बर, 1986 को घोषित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की छूट की अदायगी की योजना में संशोधन किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 1264 (अ), जो 5 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 14 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 198/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि उक्त अधिसूचना से संलग्न सारिणी में "वाईंडिंग वायर्स" शब्दों के पश्चात् "एण्ड ट्रिप वायर्स" शब्द अंतःस्थापन किये जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 1266 (अ), जो 8 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 64/83-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(पांच) सा०का०नि० 1267 (अ), जो 8 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केल्शियम कार्बोनेट के विनिर्माण में उत्पादन के कारखाने के भीतर प्रयुक्त चूने को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०का०नि० 1312 (अ), जो 23 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पोलीप्रोपीलीन फाइबर अपशिष्ट पर प्रति किलोग्राम 50 प्रतिशत अथवा 5 रुपये, जो भी कम हो, की दर से

उत्पाद-शुल्क निर्धारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 1328(अ), जो 26 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 463/86-के०उ०शु० की वैधता 31 मार्च, 1987 तक बढ़ाई गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 1349(अ), जो 31 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या 185/83-के०उ०शु० की वैधता 30 जून, 1987 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 4(अ), जो 1 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दो विनिर्दिष्ट उर्वरक यूनिटों तथा खेतड़ी तांबा काम्पलेक्स में विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे नैफ्था के लिए उत्पाद-शुल्क की 525 रु० प्रति किलोलीटर की रिआयती दर निर्धारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 5(अ), जो 1 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेबों की पैकिंग करने के लिए गत्ता बाक्सों के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले क्राफ्ट पेपर और क्राफ्ट पेपर बोर्ड पर उत्पाद-शुल्क की अदायगी से छूट देना है ताकि लकड़ी के बाक्सों के स्थान पर गत्ता बाक्सों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 19(अ), जो 7 जनवरी, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 223/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि एच०डी०पी०ई०/पी०पी० बुने हुए बोरों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की छूट उपलब्ध नहीं होगी यदि ऐसे बोरों का निर्माण चमड़े वाले करघों पर किया जाता है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 27(अ), जो 12 जनवरी, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 40/85-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि पैरा-टोलुइक ईस्टर और वेग्राइल एक्रिलेट का क्रमश: डायमेथाइल टेरेफ्थेलेट और एक्रि-

[श्री जनार्दन पुजारी]

लिक फाइबर के विनिर्माण हेतु कारखानागत रूप से इस्तेमाल किये जाने पर उन्हें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 36(अ), जो 15 जनवरी, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रबड़ीकृत टैक्सटाइल फैब्रिक को, सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 51(अ), जो 21 जनवरी, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 नवम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 450/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि उक्त अधिसूचना के पैरा 2 का लोप किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल०टी० —3662/87]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अपने सहयोगी श्री योगेन्द्र मकवाना की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र भी सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1269(अ), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 9 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत घरेलू निर्माताओं द्वारा 1 अक्तूबर, 1986 से 31 मार्च, 1987 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्डों को उर्वरकों की सप्लाई के आदेशों का उल्लेख है।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल०टी०—3663/87]

(2) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 के अंतर्गत नारियल विकास बोर्ड भर्ती (संशोधन) विनियम, 1986, जो 22 नवम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1019 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी०—3664/87]

(3) (एक) राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 14 की उपधारा (4) और धारा 16 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी०—3665/87]

1.24 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 24 फरवरी, 1987/5 फाल्गुन 1908 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, सीलमपुर, दिल्ली-53